

## कार्यालय आदेश

माननीय कुलपति महोदया के अनुमोदनोपरान्त सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत वांछित समस्त पत्रजात, छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं, आदि, की सत्यापित प्रति प्राप्ति हेतु उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानिक पंजीकरण शुल्क एवं प्रति पृष्ठ रु. 02.00 की दर से शुल्क प्रभावी रहेंगे।

आज्ञा से,  
कुलपति

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल  
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

पत्रांक सं. : ग.वि.वि./ सू.अ.प्र./ 2020 / 341

दिनांक: 04 / 09 / 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी।
2. लोक सूचना अधिकारी
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. प्रथम अपीलीय अधिकारी।
5. सहायक नोडल अधिकारी, सूचना अधिकार प्रकोष्ठ।
6. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि इस आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रचारित करें।
7. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।
8. गार्डफाइल।

6.09.2020  
प्रो. (एन.एस. पंवार)  
कुलसचिव